



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269291
CG-DL-E-12012026-269291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947

No. 148]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 158(अ).— केन्द्रीय सरकार, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए उपबंध) नियम, 2016 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित है, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (5) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1647 (अ), तारीख 2 मई, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 5 मई, 2016 को प्रकाशित हुई थी अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 और उसके बाद संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“3.	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य, पदेन, ”
-----	--	----------------

[फा. सं. 05/03/2020-आईईपीएफ]

अनीता शाह अकेला, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 5 मई, 2016 में संख्यांक का.आ. 1647 (अ), तारीख 2 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का.आ. 3756 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2017, का.आ. 2282 (अ), तारीख 8 जुलाई, 2020, का.आ. 3455 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2024 और का.आ. 4333 (अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 158(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 125 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with rules 5 and 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th May, 2016 *vide* number S.O.1647(E), dated the 2nd May, 2016, namely:-

In the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: –

“3.	Smt. Sonali Sen Gupta, Executive Director, Reserve Bank of India	Member, <i>ex-officio</i> ; ”
-----	--	-------------------------------

[F. No. 05/03/2020-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt.Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th May, 2016 *vide* number S.O. 1647(E), dated the 2nd May, 2016 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 3756(E), dated the 28th November, 2017, S.O. 2282 (E), dated the 8th July, 2020, S.O. 3455(E), dated the 13th August, 2024 and S.O. 4333(E), dated the 3rd October, 2024.